

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS
TOWN CENTRE : N-5 : CIDCO : AURANGABAD-431003.

TRADE NOTICE NO. 03 / 2010
(Sr. No. 03/GEN/2009)

**Sub:- e-payment and e-filing of monthly or quarterly returns of
Central Excise & Service Tax – reg.**

.....

Attention of the Trade and Industry is invited to Notification Nos. 01/2010-ST and 04/2010-CX(N.T.) both dated 19.02.2010 under which the following changes have been made in relation to the Service Tax and Central Excise Rules.

(a) A Service Tax assessee who has paid a total service tax of Rupees ten lakhs or more including the amount paid by utilization of CENVAT credit, in the preceding financial year, shall deposit the Service Tax liable to be paid by him electronically, through internet banking.

(b) A Service Tax assessee who has paid a total Service Tax of Rupees ten lakhs or more including the amount paid by utilization of CENVAT credit, in the preceding financial year, shall file the return electronically.

(c) A Central Excise assessee who has paid a total duty of Rupees ten lakhs or more including the amount paid by utilization of CENVAT credit, in the preceding financial year, shall deposit the Central Excise duty liable to be paid by him electronically, through internet banking.

(d) A Central Excise assessee who has paid a total duty Rupees ten lakhs or more including the amount paid by utilization of CENVAT credit, in the preceding financial year, shall file the monthly or quarterly return, as the case may be electronically.

These changes will come into force from the 1st April 2010.

For more details relevant Notification Nos. 01/2010-ST and 04/2010-CX(N.T.) both dated 19.02.2010 may please be referred to.

All the Trade Associations, Chamber of Commerce and industry are requested to bring the contents of this Trade Notice to the notice of their member constituents.


(ARUN SAHU)
COMMISSIONER

F.No.VGN(30)24/TC/2010
Aurangabad, the February 2010.

Copy to :- As per mailing list.

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय
एन-5, टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431030

व्यापार सूचना सं. 03/2010

क्र.सं. 03/सामान्य/2009

विषय :- केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर के मासिक या तिमाही रिटर्न के ई भुगतान
एवं ई फायलिंग करने के संबंध में -

व्यापार तथा उद्यम का ध्यान दिनांक 19.02.2010 के अधिसूचना सं. 01/2010/एसटी तथा 04/2010 के.उ. (एन-टी) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अधीन केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर से संबंधित नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।

(क) सेवाकर निर्धारिति जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में कुल रु. दस लाख या उससे अधिक का सेवाकर का भुगतान किया है जिसमें सेनवेट क्रेडिट के उपभोग की राशि भी शामिल है वे उनके द्वारा देय योग्य सेवाकर का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग द्वारा इलेक्ट्रानिकली करें।

(ख) सेवाकर निर्धारिति जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में कुल रु. दस लाख या उससे अधिक का सेवाकर का भुगतान किया है जिसमें सेनवेट क्रेडिट के उपभोग की राशि भी शामिल है वे इलेक्ट्रानिकली विवरण दाखिल करें।


(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिति जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में कुल रु. दस लाख या उससे अधिक का शुल्क का भुगतान किया है जिसमें सेनवेट क्रेडिट के उपभोग की राशि भी शामिल है वे उनके द्वारा देय योग्य उत्पाद शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग द्वारा इलेक्ट्रानिकली करें।

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिति जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में कुल रु. दस लाख या उससे अधिक का भुगतान किया है जिसमें सेनवेट क्रेडिट के उपभोग की राशि भी शामिल है वे मासिक या तिमाही विवरण इलेक्ट्रानिकली दाखिल करें।

यह परिवर्तन दिनांक 1 अप्रैल 2010 से लागू होंगे

अधिक जानकारी के लिए कृपया दिनांक 19.02.2010 के अधिसूचना सं० 01/2010-एनटी तथा 04/2010-के.उ.(एन-टी) देखें।

सभी व्यापार संगठनों चेम्बर ऑफ कामर्स तथा उद्यम से अनुरोध है कि वे इस व्यापार सूचना की जानकारी अपने सदस्यों को दे।


(अरुण साहु)/10
आयुक्त

फा.सं. वीजीएन(30)24(टीसी)2010
औरंगाबाद, फरवरी 2010

प्रति प्रेषित :- डाक सूची के अनुसार